वाई के बारे में ... पर की ... तारीख सहित

जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0-08/2024-25

सरकार

बनाम्

मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी

—: आदेश :—

दिनांक 30/10/24

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–427/डी0सी0बी0 दिनांक–19.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने गोड्डा नगर थाना के अपराधकर्मी मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी, पे0–भगवान तिवारी, सा0–पटेल नगर, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2(डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी, पे0–भगवान तिवारी, सा0–पटेल नगर, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, अपराध करना एवं लोगों को डराना धमकाना है। ये एक कुख्यात एवं पेशेवर अपराधी है। ये अपने साथियों के साथ मिलकर गोड्डा अनुमंडल के नगर थाना क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये जेल से बाहर हैं। इनके कारण सामाजिक शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरूद्ध गोड्डा नगर थानान्तर्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अपराधकर्मी मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी, पे0–भगवान तिवारी, सा0–पटेल नगर, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के

अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी कांण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–78/2023 दिनांक–17.03.2023 धारा –147/148/149/341/323/325/307/506/448/504 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए, 26/27 आर्म्स एक्ट ।
2. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–235/19 दिनांक–14.09.2019 धारा–364(ए)/356/379/387/34 भा0द0वि।
3. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–73/18 दिनांक–29.03.2018 धारा–452/506/386/34 भा0द0वि।
4. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–79/18 दिनांक–04.04.2018 धारा–323/504/506/171(घ)/34 भा0द0वि।
5. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–204/17 दिनांक–15.09.2017 धारा–341/342/323/325/353/332/333/307/379/504/506/34 भा0द0वि0।
6. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–321/10 दिनांक–10.08.2010 धारा–384/386/387 भा0द0वि0।
7. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–344/10 दिनांक–16.09.2010 धारा–384/386/387 भा0द0वि0।
8. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–344/10 दिनांक–16.09.2010 धारा–384/386/387 भा0द0वि0।
9. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–07/19 दिनांक–08.01.09 धारा–324/329/307/120बी0/34 भा0द0वि0।
10. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–113/06 दिनांक–14.05.06 धारा–364/302/201/34 भा0द0वि0।
11. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–73/06 दिनांक–24.03.06 धारा–452/166/120बी0/34 भा0द0वि0।

वर्तमान में उक्त के विरूद्ध दर्ज सन्हा :–

गोड्डा नगर थाना दैनिकी सन्हा संख्या–18/24 दिनांक–17.10.2024

गोड्डा नगर थाना दैनिकी सन्हा संख्या–05/24 दिनांक–15.10.2024

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पु0नि0 सह थाना प्रभारी नगर थाना सशस्त्र बल के साथ गस्ती के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी, पे0–भगवान तिवारी, सा0–पटेल नगर, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा दबंगई कर रहा है। ये अपने सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ मिलकर किसी बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना तैयार कर रहा है, जिससे ग्रामीणों के अन्तर्गत काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिनके डर से किसी ग्रामीण के द्वारा पुलिस में शिकायत करने का हिम्मत नहीं जुटा पाती है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर असामाजिक तत्व मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी, पे0–भगवान तिवारी, सा0–पटेल नगर, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने के लिए प्रस्ताव दिया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि कारण–पृच्छा के संलग्नक में पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के कार्यालय द्वारा निर्गत है, जिसमें अपराध सूची में 11 काण्डों का उल्लेख करते हुए उन्हें जिला का कुख्यात अपराधी दर्शाने का प्रयास किया गया है। हड़बड़ी में उक्त अपराधिक इतिहास में एक ही काण्ड के बारे में दो बार जिक्र करके काण्डों का लिस्ट लम्बा किया गया है। इस सभी काण्डों में क्रमांक–11 एवं 05 को छोड़कर सभी काण्डों में उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा निर्दोष पाकर रिहा किया गया है। इन काण्डों का अब जिक्र करना मान्नीय न्यायालय का अवमानना ही है। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि क्रमांक–02 में वर्णित गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–235/19 में सरकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मेरी रिहाई के विरूद्ध Aquitel appeal (DB) सं0–40/2023 तथा 18/2022 दायर किया गया था। इसमें पारित आदेश में भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को उन पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है, जिन्होंने उन्हें गलत फसाने का प्रयास किया था। उनका आगे कथन है कि वे स्वयं 2016 के विधानसभा के उप चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे एवं वे सरकार को नियमित रूप से आयकर रिटर्न भी भरता है। समाज के किसी भी गणमान्य

व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराया गया है। इसलिए उन्होंने आरोपों से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी, पे0–भगवान तिवारी, सा0–पटेल नगर, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–78/2023 दिनांक–17.03.2023 धारा–147/148/149/341/323/325/307/506/448/504 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए, 26/27 आर्म्स एक्ट, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–235/19 दिनांक–14.09.2019 धारा–364(ए)/356/379/387/34 भा0द0वि, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–73/18 दिनांक–29.03.2018 धारा–452/506/386/34 भा0द0वि, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–79/18 दिनांक–04.04.2018 धारा–323/504/506/171(घ)/34 भा0द0वि, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–204/17 दिनांक–15.09.2017 धारा–341/342/323/325/353/332/333/307/379/504/506/34 भा0द0वि0, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–321/10 दिनांक–10.08.2010 धारा–384/386/387 भा0द0वि0, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–344/10 दिनांक–16.09.2010 धारा–384/386/387 भा0द0वि0, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–07/09 दिनांक–08.01.09 धारा–324/329/307/120बी0/34 भा0द0वि0, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–113/06 दिनांक–14.05.06 धारा–364/302/201/34 भा0द0वि0, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–73/06 दिनांक–24.03.06 धारा–452/166/120बी0/34 भा0द0वि0 तथा गोड्डा नगर थाना दैनिकी सन्हा संख्या–18/24 दिनांक–17.10.2024 एवं गोड्डा नगर थाना दैनिकी सन्हा संख्या–05/24 दिनांक–15.10.2024 सन्हा दर्ज है। विपक्षी को जिलानतर्गत रहने से लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है एवं साथ ही अगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 को भी प्रभावित कर सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी, पे0–भगवान तिवारी, सा0–पटेल नगर, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि

को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) श्री दिनेश कुमार महली, थाना प्रभारी, गोड्डा नगर, मो0 नं0–9431134781 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, गोड्डा नगर को आदेश दिया जाता है कि वे मुन्ना तिवारी उर्फ अशोक तिवारी को प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक–30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, गोड्डा नगर को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

184
01/11/24

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:30:46 +05:30
Location: 192.168.1.9